राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांकः प.16(1)स्माप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 17–7–2013

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
   समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग

विषय :– **निगमों/बोर्डों/ आयोगों में नवनियुक्त माननीय अध्यक्षगण/ उपाध्यक्षगण /आयुक्त हेतु कार्यालय, स्टॉफ, वाहन आदि व्यवस्थाओं के संबंध में।**

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 15.07.2013 को विभिन्न निगमों/बोर्डों/ आयोगों में नियुक्त अध्यक्षगण/ उपाध्यक्षगण /आयुक्त, जिन्हें राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को उनकी पात्रतानुसार कार्यालय, स्टॉफ व वाहन संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाये।

यदि प्रशासनिक विभाग के पास उक्त साधन उपलब्ध नहीं है तो कारण अवगत कराते हुए एवं औचित्यता बताते हुए उक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु सीधे ही वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कराये जाये।

यदि प्रशासनिक विभाग के अधीन उपलब्ध भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन /रिनोवेशन से स्थान उपलब्ध होना संभव हो तो कार्यालय हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये अन्यथा किराये पर स्थान लिये जाने के प्रस्ताव सीधे ही वित्त विभाग को स्वीकृति व आवश्यक बजट हेतु प्रस्तुत कराये जाये।

इसी प्रकार यदि प्रशासनिक विभाग के पास उपरोक्त नवनियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त को देय सुविधा अनुसार वाहन, वाहन चालक उपलब्ध है तो तुरंत उपलब्ध करवा दिये जाये तथा यदि वाहन उपलब्ध नहीं है तो नवीन वाहन/संविदा पर वाहन के लिए स्वीकृति तथा बजट हेतु प्रस्ताव सीधे ही वित्त विभाग को प्रस्तुत कराये।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त हेतु नियमानुसार स्टॉफ की व्यवस्था भी प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से करेंगे तथा यदि स्टॉफ उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक स्वीकृतियों हेतु प्रस्ताव सीधे ही वित्त विभाग को भेज कर प्राप्त करेंगे।

यह ध्यान रखा जाये कि नव नियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त के लिये अविलम्ब उपरोक्त एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संबंधित प्रशासनिक विभाग उपलब्ध करवा दें।

18.7.2013

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :—

1. माननीय श्री .... अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/आयुक्त, ...आयोग।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव/निजी सहायक, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. सभी संबंधित .... ।
6. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव